प्रेस प्रकाशनी*

दिसंबर 2010

संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया

10 दिसंबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 41 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश तथा विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत न करने के लिए बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियमावली 1966 के नियम 3, 5, 8 और 9 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18, 29, 20, 23, 24, 26, 27, 29 और 31 का उल्लंघन करने पर ₹50000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है। तदनुसार बैंक पर दंड लगाया गया।

तिमाही के मध्य में मौद्रिक नीति की समीक्षा: दिसंबर 2010

16 दिसंबर 2010

मौद्रिक उपाय

यह निर्णय लिया गया है कि:

- रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर 6.25 प्रतिशत तथा प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 5.25 प्रतिशत बनाए रखी जाए।
- प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) वाणिज्यिक बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 6.0 प्रतिशत बनाए रखा जाए।

चलनिधि उपाय

यह निर्णय लिया गया है कि :

- पहला, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 18 दिसंबर 2010 से उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत किया जाए।
- दूसरा, अगले एक महीने में ₹48,000 करोड़ की सकल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) नीलामियाँ आयोजित की जाएँ जिसकी समय-सारणी अलग से जारी की जा रही है।

उपर्युक्त दोनों उपायों से ₹48,000 करोड़ की राशि की चलनिधि सहनीय आधार पर डाले जाने की आशा की जाती है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात में निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की एक प्रतिशत तक की गई स्थायी कमी को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 29 नवंबर 2010 को घोषित चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता अब 18 दिसंबर 2010 से 28 जनवरी 2011 तक अनुसूचित वणिज्यिक बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं के 1.0 प्रतिशत तक की सीमा तक (2.0 प्रतिशत के बदले) उपलब्ध होगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2 नवंबर 2010 को घोषित मौद्रिक नीति की द्वितीय तिमाही समीक्षा के समय से उल्लेखनीय वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं। धीमे सुधार और जारी बेरोज़गारी ने अमरीका में परिमाणात्मक सरलता के दूसरे दौर को प्रोत्सहित किया, तथापि हाल के आँकड़े विशेष रूप से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और उपभोक्ता विश्वास के संबंध में सुधार के कुछ संकेत दर्शाते हैं यद्यपि बेरोज़गारी दर बढ़ी है। यूरोप में आर्थिक सुधार की दिशा में प्रगति के बावजूद वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं पुन: प्रकट हुई हैं क्योंकि सार्वभौम ऋण समस्या और व्यापक हो गई है। उभरती हुई प्रमुख बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में (इएमइ) वृद्धि दर सुदृढ बनी हुई है।

उल्लेखनीय रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमे सुधार और क्षमता के उपयोग में कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय पण्य वस्तुओं, जैसे कि तेल, खाद्यान्न, औद्योगिक इनपुट और धातुओं की कीमतों में पिछले सप्ताह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने लगी है जो माँग और उच्चतर पण्य वस्तु कीमतों में मज़बूती को दर्शाती है।

* दिसंबर 2010 में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी

घरेलू अर्थव्यवस्था

वृद्धि

वर्ष 2010-11 की दूसरी तिमाही में 8.9 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू गतिविधि मज़बूत बनी हुई है। अच्छे मानसून के सहयोग से कृषि की वृद्धि दर में सुधार हुआ है। अगस्त-सितंबर के दौरान स्थिर रहने के बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में अक्तूबर 2010 में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआइ) सहित औद्योगिक गतिविधि के विभिन्न संकेतक भी एक मज़बूत अंतर्निहित गतिविधि को दर्शाते हैं। सेवा क्षेत्र गतिविधि के अग्रणी संकेतकों में वृद्धि की दर सुदृढ बनी हुई है। ये गतिविधियां वर्ष 2010-11 में जीडीपी में 8.5 प्रतिशत के रिजर्व बैंक के पूर्वानुभान का समर्थन करती है जिसकी समीक्षा 25 जनवरी 2011 को निर्धारित तीसरी तिमाही समीक्षा में की जाएगी।

मुद्रास्फीति

क्रमिक पाँच महीनों तक दुहरे अंकों में बने रहने के बाद वर्ष-दर-वर्ष हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अगस्त 2010 में गिरकर 8.8 प्रतिशत और नवंबर 2010 में पुन: कम होकर 7.5 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक मज़दूरों और ग्रामीण/कृषि मज़दूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य (सीपीआइ) मुद्रास्फीति लगभग एक वर्ष तक दुहरे अंकों में बने रहने के बाद अगस्त 2010 से नरम होकर एकल अंकवाली दरों में आ गई। मुद्रास्फीति में समग्र कमी एक अनुकूल मानसून के बाद खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में आई नरमी को दर्शाती है। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में औसतन 15.7 प्रतिशत से सुधरकर दूसरी तिमाही में 12.3 प्रतिशत, अक्तूबर 2010 में 10.0 प्रतिशत और पुन: नवंबर 2010 में 6.1 प्रतिशत तक आ गई है। खाद्य मदों के बीच अनाजों और दालों की मुद्रास्फीति में गिरांवट की दर प्रोटिन से संबंधित खाद्य मदों जैसे कि अण्डा, मछली, माँस और दूध की मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही है जो खाद्य मुद्रास्फीति की संरचनात्मक प्रकृति को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त खाद्येतर प्राथमिक वस्तुओं जैसे कि कच्चा कपास, कच्चा रबड़ और खनिज़ की मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़ी है। पिछले छह महीनों से गिरती हुई प्रवृति को उलटते हुए गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति नवंबर 2010 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत तक आ गई है।

मुद्रास्फीति में गिरावट के बावजूद मुद्रास्फीतिकारी दबाव घरेलू माँग और उच्चतर वैश्विक पण्य वस्तु कीमतों दोनों के कारण बने हुए हैं। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट की गति मुख्यत: संरचनात्मक कारकों के चलते आशा से कम रही है। यह जोखिम है कि बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय पण्य वस्तु कीमतें घरेलू मुद्रास्फीति में व्याप्त हो जाएंगी। आगे चलकर सकल माँग दबाव के साथ मिलकर विनिर्मित क्षेत्र की बढ़ती हुई घरेलू इनपुट लागतें घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती हैं। मार्च 2011 तक मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के 5.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान से ज्यादा रहने का जोखिम है।

चलनिधि

नीतिगत रुझान के अनरूप प्रणाली में समग्र चलनिधि के स्तर में कमी बनी रहने पर भी कमी का स्तर रिज़र्व बैंक के प्रत्याशित स्तर से अधिक था। इसका मुख्य कारण सरकार के खाते में भारी मात्रा में जमाराशि का होना था जो नवंबर की दूसरी तिमाही समीक्षा के समय से औसतन 84,000 करोड़ रुपए थी । इसके चलते चलनिधि समायोजन योजना के अंतर्गत औसत निवल एलएएफ रिपो की राशि 1,01,000 करोड़ रुपए हो गई । इसके अलावा 2010-11 में कर्ज देने की दर में बढ़ोतरी के बावजूद प्रवृत्ति से अधिक मात्रा में मुद्रा का विस्तार होने और बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि की दर में गिरावट आने जैसे ढांचागत कारणों से चलिनधि में कमी की समस्या और बढ़ गई। चलनिधि की कमी के चलते मौद्रिक नीति के संकेतों के संप्रेषण में सुधार आया और इसके कारण कई बैंकों ने जमाराशि और कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। चलनिधि में अत्यधिक कमी की स्थिति निधियों की उपलब्धता और लागत दोनों में अनिश्चितता पैदा कर देती है जिसके चलते बैंकिंग प्रणाली को कर्ज की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है।

जारी चलनिधि दबावों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2010 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल माँग और मीयादी देयताओं के 2.0 प्रतिशत तक चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अतिरिक्त चलनिधि सहायता देने, द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा जारी रखने और सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार परिचालन खरीद जैसे कुछ उपाय लागू किए। जहां इन उपायों से ओवरनाईट ब्याज दरों को स्थिर रखने में सहायता मिली है, वहीं घाटे की मात्रा से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकों के अपने तुलनपत्रों के विस्तार की क्षमता में बाधा आ सकती है। रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किए गए अतिरिक्त चलनिधि उपाय इन चिंताओं को दूर करते हैं।

जैसे ही अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है उसे प्राथमिक चलनिधि की आवश्यकता होती है जिसे मौद्रिक नीति के रूझान के अनुरूप उपलब्ध कराना होता है। चलनिधि की ऐसी व्यवस्था को मौद्रिक नीति के रूझान में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति प्रमुख चिंता का कारण बनी हुई है । इस समीक्षा में किए गए उपायों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति मज़बूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति में कमी हुई है, फिर भी यह रिज़र्व बैंक की सुगमता के स्तर से ऊपर है। तथापि, घरेलू माँग और उच्चतर वैश्विक पण्य मूल्य दोनों से मुद्रास्फीति के बढ़ने की जोखिम है। अत: मुद्रास्फीति पर सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि मांग पक्षीय दबाव न बढ़ जाए। हाल की अवधि में चलनिधि का प्रबंधन रिज़र्व बैंक के लिए चलनिधि का प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती बना हुआ। रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को रोकने के मौद्रिक नीतिगत रूझान के अनुरूप चलनिधि दबाव को कम करने का प्रयास कर रहा है।

अपेक्षित परिणाम

इस समीक्षा में की गई नीतिगत कार्रवाईयों से यह अपेक्षित है कि :

- अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय मात्रा में प्राथमिक चलनिधि डाली जा सकेगी;
- प्रणाली में चलनिधि के घाटे को रिज़र्व बैंक की सुगमता के स्तर तक लाया जा सकेगा; और
- रिज़र्व बैंक की वर्तमान नीति दरों के अनुरूप ओवरनाईट अंतर-बैंक बाज़ार की ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकेगा।

अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

23 दिसंबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अर्जुन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र पर एक्सपोजर सीमा, गैर जमानती ऋणों और निदेशक से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द करना - दि गोलाघाट अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोलाघाट (असम)

23 दिसंबर 2010

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दि गोलाघाट अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोलाघाट (असम) अर्थक्षम नहीं रह गया है और इसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2010 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक का लाईसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। निबंधक, सहकारी समितियां, असम से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से ₹1,00,000 (एक लाख रुपए मात्र) की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप दि गोलाघाट अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोलाघाट, असम को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उन्हें वापस लौटाना भी शामिल है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री आर भूकया, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी से संपर्क कर सकते हैं, उनका पता निम्न प्रकार है:

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पानबजार, गुवाहाटी 781001 टेलीफैक्स: (0361) 2635006

रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

24 दिसंबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने चालू खाते में ₹0.25 लाख की उच्चतम सीमा से अधिक राशि के चेकों की खरीद/डिस्काउंट करके भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। बैंक ने जमीन खरीद करने के लिए व्यक्तियों को ₹25.00 लाख से अधिक का ऋण संवितरित करके भी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

31 दिसंबर 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने 21 जून 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समूह निवेश मानदण्ड का उल्लंघन करते हुए शाह समूह की कंपनियों को 17 नवंबर 2008 और 18 जुलाई 2009 के बीच 14.11 करोड़ की अनुमत सीमा से अधिक कुल 96.20 करोड़ के 21 ऋण मंजूर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।